न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

धार्मिक एन्यूटी प्रा0 पत्र सं0 04/2015

प्रार्थना पत्र जरिये पुजारी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री मुरलीधर, जाति—ब्राम्हण, जरिये पुजारी मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सपठित राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 बाबत् मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब, जयपुर के पुजारी की मृत्यु के पश्चात् एन्यूटी प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने बाबत्)

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से ।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय **दिनांक : 14.08.2019**

प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री विनोद कुमार एवं श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्रान् स्व0 मुरलीधर महन्त एवं ट्रस्टी थे। विनोद कुमार पुत्र स्व0 मुरलीधर दिनांक 12.10.2005 को लापता हो गये। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि मंदिर ट्रस्ट के नाम से जारी की जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, जयपुर से मंदिर की सेवा पूजा एवं भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज अधिकारी की सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मय टिप्पणी के चाही गई।

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब के श्री विनोद कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्रान् स्व0 श्री मुरलीधर जी महन्त एवं ट्रस्टी थे। मंदिर श्री गिरधारी जी की सेवा पूजा श्री विनोद कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार करते थे। इनके हक में प्रपत्र 12 क/ख जारी हुए है। परन्तु दिनांक 12.10.2005 को विनोद कुमार पुत्र मुरलीधर लापता हो गये। विनोद कुमार की तलाशी के सभी प्रयास 10 वर्षो से विफल रहे है। इस पर मंदिर के ट्रस्टी ने यह निर्णय किया कि मंदिर की एन्यूटी जो विनोद कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार को मिलती थी वह मंदिर ट्रस्ट को मिल जावें। मंदिर का ट्रस्ट पूर्व से देवस्थान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ है। विनोद कुमार के लापता हो जाने से व कानूनी रूप से भी लापता की अवधी पार हो जाने से मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब की एन्यूटी, मंदिर ट्रस्ट, जो कि मंदिर की सेवा पूजा देखरेख कर रहा है, प्राप्त करने का अधिकारी है। विनोद कुमार के अलावा सुरेन्द्र कुमार स्वयं ट्रस्टी है एवं प्रपत्र 12 क में एन्यूटी प्राप्तकर्ता यह निवेदन करते है कि मंदिर की एन्यूटी मंदिर ट्रस्ट के नाम से मंदिर के खाते में जमा होकर मंदिर के सेवा पूजा में काम आये। प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर ट्रस्ट के नाम प्रपत्र 12 क संशोधित किया जाकर वार्षिक वृती दिलायी जावें। प्रकरण में तहसीलदार, जयपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में पटवारी हल्का नाहरगढ द्वारा अंकित किया गया कि मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब, जयपुर निजी मंदिर है। विनोद कुमार लापता है। जिसकी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य सेवा पूजा कर रहे है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है :-

1. सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग द्वारा निर्णय दिनांक 16.09.2011 द्वारा न्यास विधान के संशोधन की प्रति।
2. सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग द्वारा जारी प्रपत्र सं0 4 जिसमें न्यासी सदस्यों की सूची।
3. संशोधित विधान की प्रति।
4. सहायक आयुक्त (ट्रस्ट) देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 11.01.1999 को पंजीकृत न्यास का प्रमाण पत्र।
5. श्री ललित कुमार शर्मा के द्वारा उनके पिता विनोद कुमार शर्मा की दिनांक 13.10.2005 को पुलिस थाना, सुभाष चौक में प्रस्तुत गुमशुदगी की रिपोर्ट एवं कार्यवाही पुलिस की प्रति।
6. दिनांक 27.09.1994 को जारी प्रपत्र 12 ए की प्रति।
7. श्रीमती कृष्णप्रिया शर्मा पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा उनके पति विनोद कुमार के लापता होने पर मंदिर ट्रस्ट को एन्यूटी राशि दी जाने पर कोई एतराज नही होने का शपथ पत्र।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब के श्री विनोद कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्रान् स्व0 श्री मुरलीधर जी महन्त एवं ट्रस्टी थे। मंदिर श्री गिरधारी जी की सेवा पूजा श्री विनोद कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार करते थे। इनके हक में प्रपत्र 12 क/ख जारी हुए है। परन्तु दिनांक 12.10.2005 को विनोद कुमार पुत्र मुरलीधर लापता हो गये। विनोद कुमार की तलाशी के सभी प्रयास विफल रहे है। मंदिर के ट्रस्टीगण ने यह निर्णय किया कि मंदिर की एन्यूटी जो विनोद कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार को मिलती थी वह मंदिर ट्रस्ट को दी जावें। मंदिर का ट्रस्ट का देवस्थान विभाग से पंजीकृत है। विनोद कुमार के लापता हो जाने से व कानूनी रूप से भी लापता की अवधी पार हो जाने से मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब की एन्यूटी मंदिर ट्रस्ट जो कि मंदिर की सेवा पूजा देखरेख कर रहे है. वे ही अधिकारी है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मंदिर ट्रस्ट के नाम प्रपत्र 12 क संशोधित किया जाकर वार्षिक वृति दिलायी जाने हेतु निवेदन किया।

प्रभारी अधिकारी जागीर शाखा द्वारा प्रेषित मूल पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली में दिनांक 21.08.1996 को जारी प्रपत्र 12 ए में मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब, जयपुर की एन्यूटी राशि विनोद कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार को जारी किया जाना अंकित है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि श्री विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री मुरलीधर दिनांक 12.10.2005 से लापता है। जिनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 13.10.2005 को पुलिस थाना सुभाष चौक, जयपुर शहर में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा मंदिर की एन्यूटी राशि पंजीकृत न्यास को देने हेतु निवेदन किया है। अतः मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब, जयपुर न्यास को दिये जाने में कोई आपत्ति नही है।

हमनें उभयपक्षों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनें कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज की प्रतियों से यह जाहिर है कि विनोद कुमार पुत्र श्री मुरलीधर के लापता होने पर मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा मंदिर ट्रस्ट को एन्यूटी राशि दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है। लापता श्री विनोद कुमार की पत्नी श्रीमती कृष्णप्रिया शर्मा एवं पुत्र ललित कुमार द्वारा भी एन्यूटी राशि को मंदिर ट्रस्ट में देने से कोई आपत्ति नही होने का शपथ पत्र दिया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब, जयपुर की भोगराग के लिए प्राप्त हो रही एन्यूटी राशि को प्राप्त करने के लिए मंदिर श्री गिरधारी जी, राजामल का तालाब, जयपुर न्यास (ट्रस्ट) को अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय आज़ दिनांक 14.08.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) सत्यमेव जयते जयपुर जिला-जयपुर (राज.)

14.8.19

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

Scanned by CamScanner